पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 104/2023

अनवान :

सत्यपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. विनोददेवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
4. आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरजीत बिजारणीया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 376/113 के खसरा सं0 28/1 की 3.351है0, ख0सं0 533/1 की 0.708 है0, खसरा सं0 535 की 4.464है0 कुल खसरा 3 की 8.523है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 1/3 हिस्सा तथा रोही मौजा कणाऊ के ही खाता सं0 377/112 के ख0सं0 420/1 की 2.403है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह का नाम कलमजन कर वादी सत्यपाल व प्रतिवादी सं0 2 कृष्णकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किए जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.8.23.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner